कार्यालय– अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (विकास), झारखण्ड, राँची– 2

पत्रांकः–   दिनांक–

प्रेषक,

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (विकास),
झारखण्ड, राँची–2

सेवा में,

प्रधान सचिव,
वन एवं पर्यावरण विभाग,
झारखण्ड सरकार, रांची ।

विषय :– वित्तीय वर्ष 2008–09 में कार्यान्वित की जानेवाली ''वन व्यवस्था का सुदृढ़ीकरण योजना'' (जनजातीय क्षेत्रीय उपयोजना) अन्तर्गत प्रस्तावित कार्यों के लिए 211.495 ***लाख रु० (दो करोड़, ग्यारह लाख, उनचास हजार, पाँच सौ रु०) मात्र*** का स्वीकृत्यादेश निर्गत करने के संबंध में ।

महाशय,

सूचित करना है कि विभाग में विभिन्न स्तर पर कार्य कुशलता में वृद्धि लाने के लिए अधिकारियो के लिए कार्यालय, आवास तथा वन विश्रामागारों की मरम्मति एवं सुसज्जीकरण करने का तथा विभाग में कार्यरत सभी दैनिक मजदूरों की मजदूरी देने का इस योजना का मुख्य उद्देश्य है ।

2. इस योजनान्तर्गत वर्ष 2008–09 में क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक का आवास मरम्मति, वन संरक्षक का आवास मरम्मति, वन प्रमण्डल पदाधिकारी का आवास मरम्मति, सहायक वन संरक्षक, वन क्षेत्र पदाधिकारी, सहायक लिपिक, वनपाल, वनरक्षी एवं चतुर्थ वर्गीय आवासों की मरम्मति इत्यादि कार्य का प्रस्ताव है। क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक का आवास मरम्मति 30 हजार, वन संरक्षक का आवास मरम्मति 25 हजार, वन प्रमण्डल पदाधिकारी का आवास मरम्मति 20 हजार, सहायक वन संरक्षक एवं वन क्षेत्र पदाधिकारी की आवास मरम्मति 15 हजार तथा सहायक लिपिक, वनपाल, वनरक्षी एवं चतुर्थ वर्गीय आवासों की मरम्मति 10 हजार प्रति आवास के दर पर राषि उपलब्ध करायी जायेगी तथा विभाग में कार्यरत दैनिक चालक, कम्प्यूटर ऑपरेटर तथा वन विश्रामागार, चेकनाका इत्यादि में कार्यरत दैनिक मजदूरों की मजदूरी भुगतान करने का प्रस्ताव है। विभाग में कार्यरत दैनिक चालक को रू0 113.98 प्रति दिन, कम्प्यूटर ऑपरेटर को रू0 135.00 प्रति दिन तथा अन्य कार्यों में लगे दैनिक मजदूरों को रू0 90.00 प्रति दिन देने का प्रस्ताव है। प्रस्तावित योजना की कार्य विवरणी अनु0–1 पर द्रष्टव्य है ।

3. इस योजना लिए बजट मुख्य शीर्ष– 2406 वानिकी तथा वन्य जीवन, उप मुख्य शीर्ष–01 वानिकी, जनजातीय उपयोजना, लघु शीर्ष– 796 जनजातीय क्षेत्रीय उप योजना, उप शीर्ष– 15– इन्टेसीफीकेशन ऑफ मैनेजमैंट" के अन्तर्गत 1021.237 लाख रू0 की राशि उपबंधित है, जिसकी इकाईवार विवरणी निम्नवत है :–

(रू0 लाख में)

क्र0 सं0	बजट शीर्ष	बजट उपबंध
1	मजदूरी	411.658
2	आपूर्ति एवं सामग्री	319.579
3	मशीनरी एवं उपकरण	34.000
4	व्यावसायिक सेवाएं	15.000
5	लघु निर्माण कार्य	237.000
6	मोटरगाड़ी ईंधन एवं मरम्मति	4.000
	कुल योग :–	**1021.237**

(योजना बजट पृष्ट सं0– 144 के अनुसार)

4. इस योजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यों के लिए प्राक्कलन लोक निर्माण विभाग द्वारा निर्धारित एवं वर्त्तमान में लागू कार्य दर के आधार पर तैयार किए गए है एवं मजदूरी की गणना श्रम विभाग द्वारा निर्धारित वर्त्तमान में लागू दर के आधार पर तैयार किया गया है ।

5. वित्तीय वर्ष 2008–09 में इस योजनान्तर्गत सी0ओ0बी0टी0 में प्रस्तावित एवं मंत्रीमंडल द्वारा स्वीकृत कार्यों को सम्मिलित किया गया है।

6. इस योजना लिए बजट मुख्य शीर्ष– 2406 वानिकी तथा वन्य जीवन, उप मुख्य शीर्ष–01 वानिकी, जनजातीय उपयोजना, लघु शीर्ष– 796 जनजातीय क्षेत्रीय उप योजना एवं उप शीर्ष– 15– इन्टेसीफीकेशन ऑफ मैनेजमैंट" के अन्तर्गत बजट उपबंध 1021.237 में से प्रस्तावित कार्यों के लिए **210.232 लाख रू०** की योजना समर्पित की जा रही है, जो निम्नलिखित प्राथमिक इकाईयों में विकलनीय होगी ।

(रू० लाख में)

क्र0 सं0	प्रार्थमिक इकाईयां	बजट उपबंध
क)	मजदूरी	101.873
ख)	लघु निर्माण कार्य	109.622
कुल :–		**211.495**

8. इस योजना के समर्पण के उपरांत बजट उपबंध के अनुसार उपलब्ध शेष राशि प्रार्थमिक इकाईवार निम्नलिखित है :–

(रू0 लाख में)

प्रार्थमिक इकाईयां	बजट उपबंध	पूर्व में समर्पित योजना प्रार्थमिक इकाईवार	वर्त्तमान में समर्पित की जा रही योजना प्रार्थमिक इकाईवार	इस प्रकार अबतक समर्पित की गई योजना	बजट उपबंध के अनुसार उपलब्ध शेष राशि प्रार्थमिक इकाईवार
मजदूरी	411.658	94.356	101.873	196.229	215.429
आपूर्ति एवं सामग्री	319.579	137.382	0.000	137.382	182.197
मशीनरी एवं उपकरण	34.000	0.000	0.000	0.000	34.000
व्यावसायिक सेवाएं	15.000	0.000	0.000	0.000	15.000
लघु निर्माण कार्य	237.000	0.000	109.622	109.622	127.378
मोटरगाड़ी ईंधन एवं मरम्मति	4.000	0.000	0.000	0.000	4.000
कुल :–	**1021.237**	**231.738**	**211.495**	**443.233**	**578.004**

10. वित्तीय वर्ष 2008–09 में कार्यान्वित की जाने वाली कार्य क्षेत्रों के प्रस्तावित योजना हेतु अनुलग्नक–1 में वर्णित पदाधिकारी अपने–अपने कार्य क्षेत्रों में प्रस्तावित कार्यों के लिए निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी होंगे।

अतः अनुरोध है कि योजना का स्वीकृत्यादेश निर्गत करने की कृपा करें ।

आपका विश्वासी,

अनुलंग्नक : यथोक्त ।

ह0 / –

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (विकास),
झारखण्ड, राची–2

ज्ञापांक–   दिनांक–

प्रतिलिपि प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड/मुख्य वन संरक्षक, विकास, जनजातीय क्षेत्र, झारखण्ड/वन संरक्षक, योजना अंचल, रांची को सूचनार्थ प्रेषित ।

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, (विकास)
झारखण्ड, रॉची–2